राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6476/2018

गीता शर्मा पुत्री श्री लालू राम शर्मा जी, निवासी मकान नंबर 39, भोपालवाड़ी, गांव और पोस्ट कोल्यारी, तहसील जेड, उदयपुर राज।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर राज. के माध्यम से
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर राज.
3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, उदयपुर राज.

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : डॉ. निखिल डुंगावत

प्रतिवादी(गण) के लिए : ---

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश</u>

<u>20/05/2024</u>

1. वर्तमान याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों को तलाकशुदा (टीएसपी और नॉन-टीएसपी दोनों में) की श्रेणी में सामाजिक अध्ययन विषय में शिक्षक ग्रेड III, लेवल-II के पद पर नियुक्ति के लिए उसकी उम्मीदवारी पर विचार करने और उक्त पद के लिए नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए उचित निर्देश देने की मांग की है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:-

2.1 प्रतिवादी जिला परिषद, उदयपुर ने अध्यापक ग्रेड III (लेवल- I और II)-2013 के पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता

ने महिला (टीएसपी) श्रेणी में आवेदन किया। याचिकाकर्ता परीक्षा में उपस्थित हुई और 128.31 अंक प्राप्त किए।

2.2 इसके बाद, परिणाम संशोधित किया गया और उसके अनुसार, याचिकाकर्ता को 129.64 अंक प्राप्त हुए। सामान्य गैर-टीएसपी श्रेणी के लिए कट-ऑफ अंक 171.67 अंक और टीएसपी श्रेणी के लिए 155.17 अंक घोषित किए गए।

2.3 इसके बाद, 05.04.2018 को अभ्यर्थियों की एक संशोधित कट-ऑफ सूची जारी की गई, जो अभ्यर्थियों के शामिल न होने और/या अनुपलब्धता के कारण थी। सामान्य टीएसपी श्रेणी के लिए कट-ऑफ घटकर 155.17 अंक हो गई और टीएसपी श्रेणी में सामान्य तलाकशुदा में 59.68 अंक रह गए। एक नोट था कि हालांकि तलाकशुदा उम्मीदवार का पद विज्ञापित नहीं किया गया था, लेकिन विधवा उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के मामले में, बाद की श्रेणी में खाली पद को तलाकशुदा की नियुक्ति करके भरा जाना था।

2.4 दिनांक 30.04.2018 को अभ्यर्थियों की एक और संशोधित कट-ऑफ सूची जारी की गई, जो अभ्यर्थियों के शामिल न होने और अनुपलब्धता के कारण थी, जिसके तहत गैर-टीएसपी श्रेणी में सामान्य महिला तलाकशुदा कोटा के लिए कट-ऑफ घटाकर 114.6 अंक कर दिया गया।

2.5 याचिकाकर्ता, जो तलाकशुदा है, को जब यह पता चला तो उसने 08.05.2018 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। इसलिए, यह याचिका।

3. प्रतिवादियों द्वारा उत्तर में दिया गया बचाव यह है कि दिनांक 05.04.2018 की अधिसूचना में संलग्न नोट स्वयं ही स्थिति को स्पष्ट करता है। यद्यपि यह पद टीएसपी-डब्ल्यूई-विधवा श्रेणी के लिए अधिसूचित किया गया था, लेकिन उक्त श्रेणी में उम्मीदवार की अनुपलब्धता को देखते हुए, राज्य सरकार ने टीएसपी-डब्ल्यूई-तलाकशुदा श्रेणी के उम्मीदवारों में से उक्त पद को भरने का निर्णय लिया। चूंकि केवल एक उम्मीदवार, अर्थात् सुश्री भगवंती जैन, जिन्होंने आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक टीएसपी-डब्ल्यूई-तलाकशुदा श्रेणी में आवेदन किया था, दस्तावेजों के सत्यापन और काउंसलिंग के लिए उपस्थित हुईं, उन्हें नियुक्ति की पेशकश की गई। इस प्रकार, टीएसपी-डब्ल्यूई-विधवा श्रेणी में कोई और रिक्त पद नहीं बचा। बाद की कट-ऑफ दिनांक 30.04.2018 में, टीएसपी-डब्ल्यूई श्रेणी के लिए कोई पद उपलब्ध नहीं अधिसूचित किया गया।

3.1 इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा दिनांक 16.03.2015 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि की समाप्ति के बाद प्राप्त

तलाक की डिक्री टीएसपी-डब्ल्यूई-तलाकशुदा श्रेणी में पात्रता के लिए स्वीकार्य नहीं है। इस मामले में, याचिकाकर्ता ने टीएसपी-जनरल-डब्ल्यूई श्रेणी में नियुक्ति के लिए आवेदन किया था और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 04.09.2013 थी। जबकि, तलाक की डिक्री बाद में 12.02.2015 को प्राप्त हुई थी। उपर्युक्त सुश्री भगवंती जैन के पास आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि से पहले उनके पक्ष में तलाक की डिक्री थी। उन्होंने टीएसपी-डब्ल्यूई तलाकशुदा श्रेणी के तहत आवेदन किया था। इस प्रकार, उनकी उम्मीदवारी पर सही विचार किया गया और उन्हें नियुक्ति की पेशकश की गई।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि के मद्देनजर, मैंने याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील को सुना है जबकि प्रतिवादियों की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

5. प्रतिवादियों द्वारा याचिका का विरोध करने का सार यह है कि याचिकाकर्ता विधवा श्रेणी से नहीं है, इसलिए वह विधवा के लिए बने पद का लाभ लेने की हकदार नहीं है। वह केवल इसलिए पद की हकदार नहीं है क्योंकि वह तलाकशुदा है, वह भी तब जब उसका डिक्री कट-ऑफ तिथि के बाद प्राप्त हुआ हो।

6. हालांकि सैद्धांतिक रूप से, मैं याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत तर्क से सहमत हूँ कि विधवा की अनुपलब्धता की स्थिति में, उस श्रेणी में रिक्ति का लाभ तलाकशुदा को दिया जाना चाहिए था। हालाँकि, उत्तर का अवलोकन करने पर स्पष्ट रूप से अन्यथा परिलक्षित होता है। पैरा संख्या 9 और 11, उपयुक्त होने के कारण, नीचे पुनः प्रस्तुत किए जा रहे हैं:-

> "9. रिट याचिका के पैरा संख्या 9 की विषय-वस्तु के संबंध में, यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि संशोधित परिणाम जारी होने के पश्चात अध्यापक ग्रेड-III, लेवल-I के पद रिक्त रह गए तथा शेष रिक्त पदों को भरने के लिए दिनांक 05.04.2018 को संशोधित कट-ऑफ जारी की गई। इस समय, दिनांक 5.4.2018 की अधिसूचना में उल्लिखित नोट को उद्धृत करना समीचीन है, जो इस प्रकार है:-
>
> > 'जिन श्रेणियों की कटऑफ में * का उल्लेख है उक्त श्रेणी में पद विज्ञापित नहीं है परन्तु विधवा महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की सिथिति में परित्यक्ता श्रेणी से भरनें के निर्देश होने से उक्त श्रेणी में भी कटऑफ जारी की गई है।'
>
> इस संबंध में विनम्र उत्तरदाता सादर प्रस्तुत करते हैं कि दिनांक 5.4.2018 की अधिसूचना में संलग्न नोट स्वयं ही

स्थिति स्पष्ट करता है कि यद्यपि यह पद टीएसपी-डब्लूई-विधवा श्रेणी के लिए अधिसूचित किया गया था, किन्तु उक्त श्रेणी में अभ्यर्थी की अनुपलब्धता को देखते हुए राज्य सरकार ने उक्त पद को टीएसपी-डब्लूई-तलाकशुदा श्रेणी के अभ्यर्थियों में से भरने का निर्णय लिया। दिनांक 5.4.2018 की अधिसूचना के अनुसरण में केवल एक अभ्यर्थी सुश्री भगवंती जैन पुत्री श्री भेरूलाल जैन, जो आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक टीएसपी-डब्लूई-तलाकशुदा श्रेणी की स्थिति रखती हैं, दस्तावेज सत्यापन एवं काउंसलिंग के लिए उपस्थित हुईं। तदनुसार, उनके दस्तावेजों के सत्यापन एवं काउंसलिंग के पश्चात उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई है। ऐसी स्थिति में, टीएसपी-डब्ल्यूई-विधवा श्रेणी में कोई और रिक्त पद नहीं बचा है और तदनुसार, दिनांक 30.4.2018 की बाद की अधिसूचना में उत्तरदाताओं द्वारा टीएसपी-डब्ल्यूई के लिए कोई पद अधिसूचित नहीं किया गया है।

11. रिट याचिका के पैरा 11 में किए गए कथनों को उस रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है जिस रूप में उन्हें कहा गया है। इस संबंध में, यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि दिनांक 30.4.2018 की कट-ऑफ सूची में, टीएसपी-जीई-विधवा श्रेणी के एक पद का उल्लेख किया गया है, जो कि पूर्व प्रक्रिया के दौरान उक्त श्रेणी में उम्मीदवार की अनुपलब्धता के कारण है। इस समय, यह माननीय न्यायालय के संज्ञान में लाना उचित है कि याचिकाकर्ता टीएसपी-जनरल-डब्ल्यूई श्रेणी की उम्मीदवार थी और उसकी श्रेणी के संबंध में, न तो कोई रिक्त पद है, न ही दिनांक 30.4.2018 की अधिसूचना के माध्यम से इसे अधिसूचित किया गया है। यह दोहराया जाता है कि सुश्री भगवंती जैन नामक एक तलाकशुदा उम्मीदवार को टीएसपी-डब्ल्यूई-विधवा श्रेणी में रिक्त पद के विरुद्ध पहले ही चुना जा चुका है।"

7. उपर्युक्त तथ्यात्मक स्थिति का खंडन नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि टीएसपी-डब्ल्यूई-तलाकशुदा उम्मीदवार सुश्री भगवंती जैन

उपलब्ध थीं। प्रतिवादी द्वारा घोषित परिणाम के अनुसार उन्हें प्रश्नगत पद के लिए उपयुक्त और योग्य पाया गया। इसलिए, उन्हें उक्त पद के लिए समायोजित किया गया।

8. इसके अलावा, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 04.09.2013 थी। याचिकाकर्ता के मामले में तलाक की डिक्री बाद में 12.02.2015 को प्राप्त हुई थी। राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, दिनांक 16.03.2015 को, भर्ती अधिसूचना के अनुसरण में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि की समाप्ति के बाद प्राप्त तलाक की डिक्री टीएसपी-डब्ल्यूई-तलाकशुदा श्रेणी में पात्रता के लिए स्वीकार्य नहीं है। ऐसा होने के कारण, याचिकाकर्ता केवल इसलिए अपना दावा नहीं कर सकती क्योंकि वह एक तलाकशुदा है। सुश्री भगवंती शर्मा को सही रूप से उस पद का लाभ दिया गया है, जो मूल रूप से विधवा के लिए था।

9. इसके अलावा, जवाब वर्ष 2018 में ही दाखिल कर दिया गया था। चयनित व्यक्ति को पक्षकार भी नहीं बनाया गया है। प्रासंगिक तथ्यों का खंडन करने के लिए कोई जवाबी हलफनामा भी दाखिल नहीं किया गया है।

10. उपरोक्त सभी बातों के अलावा, मैं यहाँ यह भी जोड़ना चाहूँगा कि तलाकशुदा उम्मीदवार की नियुक्ति विज्ञापित शर्तों के अनुसार की गई है। नियुक्ति लागू प्रशासनिक परिपत्र के अनुसार की गई है, जिसे इस न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई है।

11. इस आधार पर, मुझे मामले में कानून या तथ्यों में कोई अनियमितता नहीं दिखती है, जिससे इस न्यायालय के किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। प्रतिवादियों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया कानून के अनुरूप है।

12. परिणामस्वरूप, रिट याचिका खारिज की जाती है।

13. सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक

उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।